न्यायालय अपरजिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 04/2016

अपीलार्थी– *बनाम* **उत्तरदाता–**

भंवरलाल पुत्र मूलाराम जाति ब्राम्हण निवासी बायतु तहसील बायतु जिला बाड़मेर

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बायतु

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.02.2016 जो प्रकरण सं. 02/2016 सरकार बनाम भंवरलालमे तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 16/02/2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बायतु द्वारा प्रकरण सं. 02/2016 सरकार बनाम भंवरलाल मे पारित निर्णय दिनांक 04.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का बायतु चिमनजीद्वारा तहसीलदार बायतु के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्रामबायतु चिमनजी के खसरा नम्बर 965/529 रकबा 03–02 बीघा किस्म बा0दो0 में से 1000 वर्गफीट भूमि पर [illegible] प्रयोजनार्थ ईंटों बनाने का कारखाना स्थापित कर खातेदारी भूमि का [illegible] संपरिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर रहा है जिसके विरूद्ध [illegible]सार कार्यवाही की जावें।हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार बायतु द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 90(ए) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 16:50:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। वक्त पेशी गैर सायल स्वयं उपस्थित हुआ किन्तु नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमी मानते जुर्माना रूपये 15000 आरोपित किया जाकर विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 01.03.2016 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना एवं बेदखलीका अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

5. अपीलांट्सकी ओर से यह भी प्रकट किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वाराअपीलाधीन आदेश में अपीलांट की तलबी हेतु ज़ारी नोटिस स्वयं अपीलांट पर तामील नहीं होकर अपीलांट के घर पर रूबरू मौतबिरान के चस्पा किया गया हैं जबकि मौतबिरान का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन कार्यवाही में [illegible] में अपीलांट का 5000 वर्गफीट पर अनाधिकृत कब्जा अंकित किया गया हैं जबकि हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में 10000 वर्गफीट भूमि [illegible] गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना उल्लेख किया गया हैं। इसी प्रकार नोटिस में प्रकरण सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 16:50:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

2/2016 अंकित हैं जबकि निर्णय में प्रकरण सं. 01/15 अंकित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस भूमि के लिये अपीलांट के विरूद्ध अपीलाधीन कार्यवाही की गई हैं वह खसरा नम्बर 965/529 रकबा 03-02 बीघा भूमि चार खातेदारों की संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं जिसमें से अपीलांट का 1/12 हिस्सा आता हैं जिस पर अपीलांट ने अपना हिस्सा सुरक्षित करने हेतु ईंटो की दिवार के लिये ईंटे डलवाई थी परन्तु हल्का पटवारी द्वारा द्वेषभावना पूर्वक अपीलांट को हानि पहुंचाने की गरज से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज करवाया गया हैं। अपीलांट द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर ईंटों की दीवार बनाना कोई गलत कार्य नही है तथा न ही अपीलकर्ता ने उक्त भूमि को अकृषि कार्य हेतु उपयोग में लिया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही दर्ज कर लिया एवं इस बाबत मुर्तिब की गई मौका रिपोर्ट अपीलांट्स की अनुपस्थिति में एकपक्षीय तैयार की गई हैं। इस प्रकार बिना अपीलांट की सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत/मौका रिपोर्ट रेकर्ड पर लिये,अपीलांट को कथित रूप से अतिक्रमी मानना कतई न्यायोचित नहीं होगा। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु के द्वारा प्रकरण सं. 02/2016 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.02.2016 अपास्त किये जाने का आदेश पारित करावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम बायतु चिमनजी के खसरा नम्बर 965/529 रकबा 03-02 किस्म बा0दो0 खातेदारी भूमि मे से 10000 वर्गफीट भूमि पर गैर कृषि प्रयोजनार्थ ईंटों का कारखाना स्थापित कर अनाधिकृत रूप से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया हैं, इस पर अपीलांट को नोटिस जारी किया किन्तु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई ठोस एवं सतुष्टिपरक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर अपीलांट के विरूद्ध धारा 90(ए)(5) के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलांट को मुतनाजा भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 16:50:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अवैध अतिक्रमी घोषित किया गया हैं एवं अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित कर बेदखली का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है तथाअपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटने अपनी संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 965/529 रकबा 03–02 बीघा में अपने 1/12 हिस्से पर काबिज होना प्रकट किया है, किन्तु हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार 10000 वर्गफीट भूमि पर ईंटे बनाने का कारखाना स्थापित किया गया हैं। इस आशय की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा अपीलांट के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर की गई हैं। ग्रामवासियों द्वारा शिकायत में उल्लेख किया हैं कि अपीलांट के खातेदारी खेत से होकर पुराना कदीमी रास्ता गुजरता हैं जिसे अवरूद्ध करने के उद्देश्य से अपीलांट द्वारा इस पर ईंटों का प्लांट स्थापित कर दिया हैं। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का अनाधिकृत रूप से गैर कृषि उपयोग लिये जाने का तथ्य आमजन की शिकायत एवं उपखण्ड अधिकारी की ओर से करवाई गई जांच में प्रमाणित हैं। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु जारी नोटिस अपीलांटकी जानकारी में आने पर अपीलांट स्वंय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हैं तथा आदेशिका में अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित किये हैं।इसके अलावा राजकीय अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई प्रकट किया कि अपीलांट द्वारा कदीमी रूप से चल रास्ते में अवरोध उत्पन्न किया गया, जिससे मौके पर कानून–व्यवस्था प्रभावित हुई। इस प्रकारअपीलांट्स द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं ना ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित खातेदारी भूमि पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिये जाने बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 16:50:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने एवं जुर्माने के दण्ड से दण्डित किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदारबायतु द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2016 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकरतहसीलदारबायतु को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

9. निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 16:50:56 IST
Reason: SelfAttested